लोक सम्पर्क विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

www.chandigarh.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

चण्डीगढ़, 8 फरवरी – केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय/राज्य बोर्डो को शिक्षा प्रमाण-पत्र/जन्मतिथि प्रमाण-पत्र के सत्यापन के लिए केंद्रीय सरकारी विभागों से शुल्क न लेने का निर्देश दिया है। मुकदमेबाजी से बचने और स्क्रीप्टरी कार्य को कम करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/शिक्षा बोर्ड/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही नये व्यक्ति का शिक्षा प्रमाण-पत्र/जन्मतिथि प्रमाण-पत्र सत्यापित किया जाएगा। कुछ शिक्षा बोर्डो/संस्थानों द्वारा सत्यापन के लिए सरकारी विभागों से फीस मांगने के कारण यह कदम उठाया गया है।

नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कागजातों की शुद्धता की पुष्टि की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम से न केवल सही उम्मीदवार की नियुक्ति हो सकेगी बल्कि विश्वविद्यालय/बोर्डो की विश्वसनीयता भी कायम होगी।